डिपाजिट मिला है, कोयले का भंडार मिला है । लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने सिंगरौली का कोयला उत्तर प्रदेश में ले जाकर के ओबरा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाने की योजना शुरू कर दी गई । मैं जानना चाहता हूं वहां पर कोयले के भंडार को देखते हुए वहीं पर सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाने की योजना आप के दिमाग में है और क्या आप इसे वहीं पर स्थापित करेंगे ?

SHRI P. RAMACHANDRAN: In Singraulli also, there is a super thermal power station. In fact, it has been sanctioned. The work is proceeding in that area.

श्री युवराज : राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम लिमिटेड द्वारा जो विस्तृत अन्वेषण इस परियोजना का हो रहा है क्या सरकार को पता है कि इस सम्बन्ध में जितनी प्रगति की अपेक्षा हमें थी उतनी प्रगति नहीं हुई है और इसीलिए फरक्का के सम्बन्ध में जो प्राथमिकता निर्धारित की गई थी उस में भारी विलम्ब हो रहा है ?

SHRI P. RAMACHANDRAN: Absolutely, there is no delay. Originally, the five super thermal power stations were put in order of priority but as soon as this Government came to power, we have decided to establish all the super power stations simultaneously in various regions. The Farakka Project is being expedited.

श्री युवराज : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । इस परियोजना की एस्टीमेटिड कास्ट क्या है ? अन्वेषण कार्य जो हो रहा है उसी से जुड़ा हुआ यह सवाल है । वर्ल्ड बैंक से रुपया मांगने की बात जो हो रही है, सारी प्रक्रिया आप खत्म हो जाने के बाद वर्ल्ड बैंक से जो आप रुपया मांगेंगे कितना मांगेंगे, कितना रुपया इस परियोजना में लगेगा ?

SHRI P. RAMACHANDRAN: The estimated expenditure will be about Rs. 700 to 800 crores.

DR. SARADISH ROY: For how long a period this project has been pending for sanction of the Central Government and what progress has been made after taking over power by the Janata Government at the Centre ?

SHRI P. RAMACHANDRAN: After this Government took over, we have proceeded in that direction very far and that is why, by the end of December, the entire techno-economic feasibility survey will be done and it will be sent to the World Bank by January/February, 1978.

SHRI K. LAKKAPPA: I rise on a point of order, Sir.

MR. SPEAKER: No point of order during the Question Hour.

SHRI K. LAKKAPPA: This is about the admissibility of the question. The subject matter referred to in this question, that is, "Production of Film" "Indus to Indira Gandhi" by a "Tamil Nadu firm" is before the Shah Commission for inquiry. The part (b) of the question says:

> "whether the committee took this decision at the instance of former Information and Broadcasting Minister (Shri Shukla) and the Director General of Doordarshan took initiative in the matter."

The entire subject matter is pending before the Shah Commission. If this question is allowed to be answered here, it will prejudice the inquiry conducted by the Shah Commission. In view of the fact that the entire subject matter is under investigation by the Shah Commission and the fact that the Shah Commission has got a wide range of procedure laid down, I humbly submit that this question may be held over and postponed till the Shah Commission gives its finding in regard to this matter. This is a very relevant point.

MR. SPEAKER: There is no point of order.

तमिलनाडु की एक फर्म द्वारा 'इंडस टू इंदिरा गांधी' नामक फिल्म का निर्माण

*43. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री तमिलनाडु की एक फर्म द्वारा 'इंडस टू इंदिरा गांधी' नामक फिल्म का निर्माण करने के बारे में 27 जुलाई, 1977 के अतारांकित

प्रश्न संख्या 5072 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मैसर्स कृष्णास्वामी एसोसियेट्स द्वारा 'इंडस टू इंदिरा गांधी' नामक फिल्म बनाने के लिए गठित समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या समिति ने उक्त निर्णय भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री शुक्ल) के कहने पर लिया और दूरदर्शन के महानिदेशक ने इस मामले में पहल की ;

(ग) क्या महानिदेशक, दूरदर्शन ने इस प्रस्ताव का विरोध अथवा समर्थन किया था ;

(घ) मसर्स कृष्णास्वामी एसोसियेट्स को अंतिम भुगतान कब किया गया था और क्या बकाया राशि का भुगतान 20 मार्च, के बाद किया गया था ; और

(ङ) सरकार का इस बारे में तथा इस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) से (ङ). जनवरी, 1976 में मद्रास के मैसर्स कृष्णा स्वामी एसोसिएट्स ने "इंडस वैली टू इंदिरा गांधी" नामक अपनी फिल्म के दूरदर्शन अधिकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव की विस्तार से जांच करने के बाद, भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री ने दूरदर्शन अधिकार खरीदने और निर्माता को दी जाने वाली धनराशि की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति गठित करने के लिए स्वीकृति दी:—

(1) श्री सी० बी० जैन, तत्कालीन संयुक्त सचिव (प्रसारण) ।

(2) श्री जी० जयरामन, संयुक्त सचिव (वित्त) ।

(3) श्री पी० वी० कृष्णमूर्ति, महानिदेशक दूरदर्शन ।

(4) श्री एल० दयाल, तत्कालीन संयुक्त सचिव (सूचना) ।

समिति ने आपस में और निर्माता के साथ भी विस्तार से विचार-विमर्श करने के बाद 50 वर्ष की अवधि के लिए फिल्म के दूरदर्शन अधिकारों के लिए 11.90 लाख रुपए का भुगतान करने की सर्वसम्मति से सिफारिश की। इस सिफारिश को तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा दिसम्बर, 1976 में स्वीकृत किया गया था। निर्माता को अंतिम भुगतान 14 जनवरी, 1977 को किया गया था। बाद में परिवर्तित परिस्थितियों को देखते हुए, निर्माता फिल्म का नाम बदल कर "व्हेयर सेंच्युरीज़ को-एग्जिस्ट" करने और अन्तिम रील को निःशुल्क संशोधित करने के लिए भी सहमत हो गया था ताकि इस को वर्तमान स्थिति के अनुरूप बनाया जा सके। इस मामले से सम्बन्धित फाइल शाह आयोग के विचाराधीन है और उसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा है।

SHRI MOHD. SHAFI QRESHI : Sir, the entire subject matter is before the Shah Commission. Is it proper for this House to discuss the whole matter and for the Minister to give replies and his opinion on this matter when the whole matter is pending before the Shah Commission ? It will prejudice the inquiry before the Shah Commission. Therefore, in the interest of the inquiry, we want no supplementary on this question. I want your ruling on this point.

MR. SPEAKER: There is no point of order arising out of this question. The House is not going to have a debate on this question. All that is sought is to get certain information on this matter. The Minister himself has said that he is not going to give any conclusive opinion

as the matter is pending before the Shah Commission. He is merely placing before the House certain information which anybody can place before the Shah Commission and which anybody is entitled to know

श्री नवाब सिंह चौहान : क्या मंत्री जी बतायेंग कि वह जो तथाकथित समिति बनाई गई थी, यह सब मंत्रालय के अधीनस्थ कर्मचारी थे जो कि तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री के नीचे थे ? पहले भी यह जिक्र आया था, क्या मंत्री महोदय ने अपनी तरफ से इस प्रकार की कोई जांच की कि उनकी इच्छानुसार ही उन्होंने काम किया ? जैसा मैंने अपने भाषण में भी पूछा था । इस वक्त जो टी० वी० के डायरेक्टर जनरल हैं वह भी उसके एक मेम्बर थे, उन्होंने अपनी क्या राय दी कि कितने में इसको खरीदा जाये ?

MR. SPEAKER: Mr. Advani, before you answer these questions, please do not give the finding; you can give the information; no conclusion, because the matter is pending before the Shah Commission.

SHRI L.K. ADVANI : I am fully conscious of the limitations in which I am when answering such a question and in fact the first point related only to whether a committee was formed, what was the composition of the committee, etc. etc., to which a reply was given and the moment the question was: what action had been taken, my reply was that there was no question of any action because the matter is pending before the Shah Commission. The question now is asked: what was the opinion of the Director-General of the Doordarshan? All that I can say is that he was a member of the Committee and the committee's recommendation is unanimous. These are the facts that I have mentioned.

श्री नवाब सिंह चौहान : मैंने अपने भाषण में भी यह चीज उठाई थी, क्या मंत्री महोदय ने इस बात की जांच की कि दूरदर्शन में टी० वी० पर जो फिल्म दिखाई जाती है वह 16 मिलीमीटर की होती है और यह फिल्म 35 मिलीमीटर की कलर्ड बनाई गई थी, जब कि टी० वी पर सादी फिल्म दिखाई जाती है ?

जिस कंपनी ने यह फिल्म बनाई थी, उसकी फिल्म चली नहीं सिनेमाओं में, इसीलिये इसको टी० वी० में लाने के लिये इन के मित्र, जो कि डायरेक्टर जनरल टी० वी० हैं, और जो पहले स्टेशन डायरेक्टर थे मद्रास में, उन के ज़रिये से कोशिश की गई, क्या इस बात की निजीतौर से जांच की गई है ? मैं यह नहीं चाहता कि आप कोई राय दें, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की जांच की है ?

क्या इस बात की भी जांच की गई है कि जो 50 साल का ठेका लिया गया है वह भी इसी बात को जस्टीफाई करने के लिये किया गया है कि इस पर 12 लाख रुपया दिया गया है ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : इस फिल्म के सन्दर्भ में मंत्रालय में जितनी सारी जांच हुई, उस के निष्कर्ष चैप्टर 9, व्हाइट पैपर में दर्ज हैं । उसके बारे में किसी ने कभी क्वैश्चन नहीं किया है । इस की आगे जांच करने की जरूरत है तो फाइल शाह कमीशन के पास है, उसके निर्णय आने पर, जो कार्यवाही आवश्यक होगी, की जायेगी ।

DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the hon. Minister inform the House what was the cost of this film and whether Rs. 12 lakhs given for T.V. were in consonance with some norms set up for the purchase of such a film ? Who were the Directors of such a film and who were the actors ?

SHRI L.K. ADVANI : I can answer last part of it because it has nothing to do with the Shah Commission's Enquiry, namely, that this film is not a feature film; this film is a kind of a documentary film running into four hours. It is a long documentary film. So far as the cost is concerned, the costing committee went into it after being asked by the Government to purchase the film. The decision to purchase the film was not taken by the costing committee it was taken by the Government and the costing committee only went into the question of cost; it came to the conclusion that Rs. 11 lakhs and 19000 is the right cost for it for the purchase for T.V.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं मंत्री महोदय जानना चाहता हूं कि जैसे यह एक क्युमेंटरी फिल्म है, इसी तरह की इमर्जेन्सी के दौरान कितनी फिल्में बनाई ई, जिसमें इन्दिरा गांधी का या संजय गांधी का या कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगन्डा किया गया ? आगे सरकार की इस सम्बन्ध क्या नीति है, क्या इस तरह की फिल्म नाने के बारे में आपने कुछ आदेश ये हैं ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : मैं एक बात पष्ट करना चाहूंगा कि जहां तक ोपेगण्डा फिल्मस् का सवाल है, वर्तमान रकार की नीति है कि हम पर्सनलिटी ल्ट के प्रोजैक्शन के लिये या प्रौपेगण्डे के लिये फिल्म नहीं बनायेंगे । लेकिन इस फेल्म के नाम से जो आभास मिलता है वह सही नहीं है । 4 घंटे की फिल्म में शायद श्रीमती गांधी का उल्लेख अंतिम 2 मिनट में आता है । बाकी सारी फिल्म दूसरे प्रकार की हैं । अगर संसद्-सदस्य चाहेंगे तो वह उपलब्ध है, दिखाई जा सकती है ।

SHRI SAMAR GUHA : I want to know from the hon. Minister, in view of the fact that certain objection has been raised about this film and which is in the mind of the public because of the association of the person concerned who created a mess in the country, whether any instruction has been issued for withholding any further show or display of this documentary.

SHRI L. K. ADVANI : As I have said, this film has evoked objections essentially because of the name....

श्री श्यामानन्दन मिश्र : इस नाम में तो अलंकार है :

'Indus Valley to Indira Gandhi'. Have you got any objection to the alliteration ?

SHRI L. K. ADVANI : After January, 1977, this film has not been shown.

SHRI SAMAR GUHA : My question was pointed whether any instruction has been issued for withholding any further show.

SHRI L. K. ADVANI : At the moment this is not being shown. It was once shown in TV. Furthermore, in the changed context, some changes have been made by the producer himself.

श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि चार घंटे की इस फिल्म में श्रीमती इन्दिरा गांधी का रोल सिर्फ़ दो मिनट के लिए दिखाया गया है । सवाल से यह मालूम होता है कि सारा गुस्सा सिर्फ़ नाम की वजह से है । अगर शाह कमीशन इस फिल्म को पास कर दे, तो क्या मंत्री महोदय इस फिल्म का नाम "इंडस वैली टु इंदिरा गांधी" के बजाये "इंडस वैली टु मोरारजी देसाई" रख देंगे ?

MR. SPEAKER : The Minister need not answer this.

श्री उग्रसेन : मंत्री महोदय ने कहा है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम अंत में थोड़े समय के लिए आया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब पूरे देश की जनता को इस पर एतराज़ है, और फिल्म में जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक सामग्री हैं, वह जनता को दिखानी चाहिए, तो क्या मंत्री महोदय उस हिस्से को काट कर और फ़िल्म का कोई उचित नाम रख कर उसे दिखाने की व्यवस्था करेंगे ?

MR. SPEAKER : This, again, does not arise out of this question.

चौधरी बलवीर सिंह : रजिया सुल्ताना से इन्दिरा गांधी तक जो डीजेनिरेशन आई है, क्या मंत्री महोदय उस बारे में कोई फिल्म बनवायेंगे ?

MR. SPEAKER : It is only a comment. Next question.